कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 02/2025 **दिनांक 23/02/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 22.02.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना खानपुर पुलिस द्वारा चोरी की 02 घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी किये गये खाद्यान के साथ 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21.02.2025 को श्रीमती हीरामणी पत्नी स्व0 गौरीशंकर शुक्ल निवासिनी ग्राम रामपुर उनके घर से खाद्यान चोरी तथा प्रधानाचार्य रामकरन इ0 कालेज ईशोपुर रामपुर श्री आत्मा यादव पुत्र रामचरित्र यादव निवासी ग्राम हथौड़ा द्वारा विद्यालय के गेट का ताला काटकर M.D.M खाद्यान को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में अभियोग क्रमशः मु0अ0सं0 54/25 व मु0अ0सं0 55/25 पंजीकृत कराये गए जिसके अनावरण के क्रम में थाना खानपुर द्वारा चेकिंग की जा रही थी की जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की रामपुर पानी की टंकी के पास चोरो का एक गिरोह आपस में बैठकर चोरी किये गये माल को बेचने की योजना बना रहे है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर रामपुर में बने पानी की टंकी के नीचे बैठे तीनो व्यक्तियों को घेर कर पुलिस बल की टीम द्वारा एकाएक दबिश देकर पकड़ लिया गया जिनसे पूंछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये तीनो लोग अपने 05 अन्य साथियों के साथ चोरी का कार्य करते है। दिनांक 18.02.2025 को रात में इन सभी द्वारा ग्राम रामपुर के हीरामनी शुक्ला के घर के बरामदे मे रखे गेहूँ और चावल की चोरी किये थे तथा दिनांक 08/09.02.2025 के रात में रामकरन इण्टर कालेज से स्कूल के चैनल व कमरे का ताला तोड़कर विद्यालय में बच्चो के खाने के लिए रखे गये गेहूँ व चावल की चोरी किया गया था। दोनो जगह के चोरी किये गये गेहूँ व चावल को इन लोगों ने प्राथमिक विद्यालय रामपुर के पीछे झाड़ी में छिपाकर रखा है उपरोक्त पकड़े गये तीनो व्यक्तियों की निशानदेही पर प्राथमिक विद्यालय रामपुर के पीछे झाड़ी से 04 बोरी में करीब 195.900 किग्रा0 गेहूँ व 16 बोरी में करीब 790.200 किग्रा0 चावल बरामद किया गया तथा जो थाना खानपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 54/25 व 55/25 से सम्बन्धित माल है मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाश के क्रम में दिनांक 22.02.2025 को बिहारीगंज डगरा तिराहे से वांछित अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह नि0ग्राम रामपुर थाना खानपुर गाजीपुर को उपरोक्त चोरी के सामान लाने ले जाने में प्रयुक्त 01 मैजिक डाला वाहन UP65BT2240 व एक अदद देशी तंमचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शिवेन्द्र राम उर्फ सिबू पुत्र राजीव प्रसाद निवासी ग्राम रामपुर थाना खानपुर गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष
2. गोलू यादव पुत्र रमाकान्त यादव उर्फ डग्गा निवासी ग्राम ईशोपुर थाना खानपुर गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष
3. आदित्य कुमार उर्फ छोटू पुत्र श्याम जी राम निवासी ग्राम हथौडा थाना खानपुर गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी-

1. 04 बोरी में करीब 195.900 किग्रा0 गेहूँ व 16 बोरी में करीब 790.200 किग्रा0 चावल
2. एक अदद देशी तंमचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज
3. चोरी के सामान लाने ले जाने में प्रयुक्त 01 मैजिक डाला वाहन UP65BT2240

02. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा चोरी की दो अदद मोटर साईकिल के साथ 01 नफर अभियुक्तगण व 01 बाल अपचारी को लिया गया अभिरक्षा/गिरफ़्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 22.02.2025 को थानाध्यक्ष कमलेश कुमार मय हमराह के बहद ग्राम बरहपुर गांगी पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनो की चेकिंग किया जा रहा था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि सहेड़ी की तरफ से दो अभियुक्तगण द्वारा चोरी के मोटर साईकिल को लेकर गांगी पुलिया से होते हुए बिहार प्राप्त बेचने के लिए निकले है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेरकर दोनो मोटर साइकिल सवार व्यक्तियो को दो चोरी की मोटर साईकिल स्पलेंडर प्लस चेचिस नं0 MBLHAR07XJHE54330 व इ0नं0-HA10AGJHE63196 तथा चे0नं0-MBLHAW110LHGC0779 व इ0नं0-HA11EVLHG50238 के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्तों को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/अभिरक्षा एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 57/2025 धारा 317(2), 317(5) बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त व बाल अपचारी को मा0 न्यायलय पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार/अभिरक्षा अभियुक्त का नाम व पताः-

01-रवि गौड़ पुत्र अनिल गौड़ निवासी ग्राम सहेड़ी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष
02- 01 बाल अपचारी

बरामदगी :-

दो अदद मोटर साईकिल स्पलेंडर प्लस जिसका चेचिस नं0 MBLHAR07XJHE54330 व इ0नं0-HA10AGJHE63196 तथा चे0नं0-MBLHAW110LHGC0779 व इ0नं0-HA11EVLHG50238

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर